

रोकथोक लेखनी

दैनिक

खबरें बे-रोकथोक

वसई-विरार में बोगस डॉक्टर पर कार्रवाई
एलोपैथी इलाज करते
पकड़ा गया...



Page - 2

मनसे कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई डांस बार में की तोड़फोड़...

शराब की बोतलें तोड़ दीं और संपत्ति को पहुंचाया भारी नुकसान

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई स्थित एक डांस बार के परिसर में जमकर उत्पात मचाया है। मनसे के कार्यकर्ताओं ने डांस बार परिसर में तोड़फोड़ की है। नवी मुंबई के पनवेल में शनिवार देर रात को यह घटना हुई है।

इस पूरे मामले की अधिक जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि मनसे के कुछ कार्यकर्ता पनवेल के बाहरी इलाके में स्थित 'नाइट राइडर्स बार' में घुस गए, जहां उन्होंने कथित



तौर पर फर्नीचर में तोड़फोड़ की, शराब की बोतलें तोड़ दीं और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया।

कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टूटी हुई मेजें, टूटे हुए

कांच और बार के अंदरूनी हिस्से में हुई तोड़फोड़ नजर आ रही है।

अश्लीलता को पनपने नहीं देंगे-MNS

मनसे के एक पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'छत्रपति

शिवाजी महाराज की पावन भूमि पर डांस बार का कोई स्थान नहीं है। हम पनवेल या राज्य में कहीं भी ऐसी अश्लीलता को पनपने नहीं देंगे।'

अब पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज...

पनवेल पुलिस ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हम सीसीटीवी फुटेज जुटा रहे हैं। गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।'

मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई! दो गोदामों पर छापा

25 लाख से अधिक की ई-सिगरेट

जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई अपराध शाखा कक्ष-6 ने कुर्ला-पश्चिम में स्थित माकड़वाला कंपाउंड के दो गोदामों पर छापेमारी कर ई-सिगरेट और हुक्का फ्लेवर्स का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। जब्त किए गए प्रतिबंधित माल की कुल कीमत ₹25,50,195 बताई गई है। यह कार्रवाई 1 अगस्त 2025 को प्रभारी पुलिस निरीक्षक भरत घोणे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना के मुताबिक आशाबाई चॉल, सिद्धपुरा मस्जिद के पास एक व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की अवैध तरीके से बिक्री के लिए स्टॉक



किया गया था। कक्ष-6 की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उबेद मोहम्मद सलीम शेख (उम्र 31) को गिरफ्तार किया और उसके पास से 1884 नग ई-सिगरेट, विभिन्न कंपनियों के तंबाकू युक्त हुक्का फ्लेवर और नकदी बरामद की। इस मामले में विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में गुर.सं. 525/2025 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 तथा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA) धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

ढोंगी बाबाओं ने परिवार का लूटा, पूजा पाठ करने के बहाने उड़ा ले गए 170 ग्राम सोना...



मुंबई : ढोंगी बाबाओं ने अब अपना मोर्चा नागपुर की ओर बढ़ा दिया है। आमतौर पर ढोंगी बाबा ग्रामीण इलाके के लोगों को अपने जाल में फांसते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आत्मा का साया और हो रही परेशानी का हल निकालने के नाम पर ढोंगी बाबाओं ने एक परिवार को लूट लिया। पूजापाठ करने के बहाने 170 ग्राम सोना और चांदी के जेवरात लेकर रफूचक्कर हो गए। यह मामला वाठोड़ा थाना क्षेत्र में सामने आया। पुलिस ने

बिडगांव निवासी जगदीश परसराम जामगड़े (60) की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

कथित आरोपियों में पारसिवनी निवासी इंद्रपाल भोयर और विलास भोयर उर्फ उज्जैन वाले महाराज का समावेश है। जगदीश बिडगांव परिसर में ही खेती करते हैं। विगत 18 जुलाई को जगदीश घर के बाहर खड़े थे इसी दौरान साधू के भेष में इंद्रपाल उनके पास आया। उसने जगदीश को मृत बेटे के बारे में कुछ बातें बताईं। दूसरे बेटे को भी नशे की लत होने के बारे में जानकारी दी। इस वजह से जगदीश को उसपर विश्वास हो गया। जगदीश ने उसे घर के भीतर बुलाया। उनकी पत्नी ने इंद्रपाल को बुरे नौद न आने और रात बुरे सपने आने की जानकारी दी। इंद्रपाल ने सारी परेशानियां और दोष दूर करने का विश्वास दिलाकर अपना मोबाइल नंबर दिया।

सीबीआई ने मुंबई में तैनात कस्टम सुपरिटेण्डेंट को 1.20 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा...

मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सहार एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुंबई में तैनात कस्टम विभाग के एक सुपरिटेण्डेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उस पर एक कस्टम हाउस एजेंट फर्म से 10 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है ताकि उनके कार्गो की क्लीयरेंस में कोई दिक्कत न हो। सीबीआई ने इस मामले में आरोपी कस्टम अधिकारी और कुछ अज्ञात सरकारी व निजी व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सुपरिटेण्डेंट का नाम कृष्ण कुमार बताया जा रहा है।

1 अगस्त तक दर्ज हुई गवाही

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी अधिकारी हर इंपोर्टेड सामान के किलो



के हिसाब से 10 रुपये की दर से रिश्वत की मांग कर रहा था, अपने लिए और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर भी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब रिश्वत देने से इनकार किया गया तो आरोपी अधिकारी ने धमकियां दीं। साथ ही जानबूझकर सामान की क्लीयरेंस रोक दी। उड़करी टीम ने 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच कई बार स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में शिकायत की पुष्टि की।

बातचीत की रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों से यह साफ हुआ कि आरोपी ने पहले से क्लीयर हुए माल के एवज में 6 लाख रुपये (जिसमें 5.80 लाख रुपये सीनियर अधिकारियों के लिए और 20 हजार रुपये अपने लिए) की रिश्वत मांगी थी। वर्तमान में रोके गए माल को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की थी। इसके अलावा, भविष्य में आने वाले माल की स्मूथ क्लीयरेंस के लिए भी प्रति किलो 10 रुपये रिश्वत तय की गई थी। उड़करी ने 2 अगस्त को ट्रैप बिछाकर आरोपी को 10,20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 6 अगस्त 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

मुंबई लोकल ट्रेन में शराब के नशे में चढ़ा पुलिस कांस्टेबल, महिलाओं से की अश्लीलता

मुंबई : मुंबई में मीरा भयंदर और वसई-विरार पुलिस कमिश्नरेट के एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा शराब के नशे में लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में महिलाओं के साथ अभद्रता करने का एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में, वसई रोड रेलवे पुलिस ने संबंधित पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 (महिलाओं की सीमा का उल्लंघन) और

धारा 351(2) (धमकी और जबरदस्ती) के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। यह घटना शनिवार को दोपहर 2:52 बजे रवाना हुई। बोरीवली-वसई लोकल ट्रेन में हुई। महिला यात्रियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कांस्टेबल अमोल किशोर सपकाले नाम का कॉन्स्टेबल खाकी वर्दी पहनकर मीरा रोड स्टेशन से महिला डिब्बे में नशे में धुत होकर चढ़ा। डिब्बे में मौजूद महिलाओं ने बताया कि सपकाले अपनी कोहनी



से महिला यात्रियों की पीठ पर जानबूझकर छू रहा था और सीट पर बैठकर कुछ महिलाओं से टिकट मांगने का नाटक कर रहा था।

वह महिलाओं को गंदी नजरों से भी देख रहा था। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि उसने कुछ महिलाओं के मोबाइल फोन भी छीन लिए। इससे तंग आकर कुछ महिलाओं ने उसे नायगांव स्टेशन पर जबरन उतार दिया और स्टेशन मास्टर से शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने वसई रोड रेलवे पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अमोल सपकाले को हिरासत में

लेकर मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। एक महिला यात्री अभया अक्षय वनेकर ने वसई रोड रेलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। नशे में धुत महिलाओं के साथ आरोपी के अश्लील व्यवहार से महिला सुरक्षा का गंभीर मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।



संपादकीय...



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

एक चिट्ठा हुआ शासनाध्यक्ष...

आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत 70 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। उन्होंने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा तब की थी, जब देश की संसद में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। ट्रंप ने भारत को अपना मित्र देश भी बताया और यह भी आरोप लगाया कि उसकी टैरिफ दरें दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। उसी समय उन्होंने भारत पर रूस से हथियार और तेल खरीदने के कारण जुमाना लगाने की घोषणा भी की। हालांकि फिलहाल भारत पर जुमाने के रूप में अतिरिक्त शुल्क लगाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ, पर भारत से आयात होने वाली सामग्री पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क यानी टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। ट्रंप ने भारत के खिलाफ कठोर रवैया दिखाने के साथ ही एक विचित्र काम यह भी किया कि पाकिस्तान पर कहीं कम 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया। इसके अलावा उन्होंने यह भी थोथा दावा किया कि पाकिस्तान के पास तेल के भंडार हैं और अमेरिका उनसे तेल निकालने में उसकी मदद करेगा। साफ है कि वे भारत को चिढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बताते हुए जैसी भाषा का इस्तेमाल किया और यहां तक कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को मरती हुई अर्थव्यवस्था कहा, उसके बाद उन्हें भारत के हितैषी के रूप में नहीं देखा जा सकता। वे अपनी विचित्र भाषा के लिए जाने जाते हैं, पर उन्होंने मित्र देश भारत के प्रति जैसी भाषा बोली, वह अमेरिकी राष्ट्रपति को शोभा नहीं देती।

उन्होंने कुछ और देशों के खिलाफ भी तीखी टिप्पणियां की हैं। चीन के प्रति तो तीखी टिप्पणियां समझ आती हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका व्यापार घाटा बहुत अधिक है, लेकिन वे कई मित्र देशों के खिलाफ भी उलटा-सीधा बोलते हैं। अब ऐसे देशों में भारत भी शामिल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक लंबे समय से यह झूठा प्रचार करने में लगे हुए हैं कि भारत बहुत अधिक टैरिफ लगता है और इस कारण उससे व्यापार करना कठिन है, लेकिन यह सही नहीं। यदि भारत अपने किसानों, व्यापारियों आदि के हितों की रक्षा के लिए कुछ वस्तुओं पर ऊंची टैरिफ दरें रखता है तो ऐसा अमेरिका भी करता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका के मुकाबले भारत आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं और यहां एक बड़ी आबादी निर्धन भी है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति अधिक से अधिक अमेरिकी वस्तुएं भारत को बेचना चाहते हैं। इनमें कुछ वे भी हैं, जिन्हें भारत लेना नहीं चाहता अथवा उन्हें अपने लिए उपयुक्त नहीं पाता। भारत अमेरिका से वे सब लड़ाकू विमान भी नहीं लेना चाहता, जो अमेरिका बेचना चाहता है। भारत का अमेरिका के साथ जो व्यापार घाटा है, वह इतना अधिक नहीं कि ट्रंप आसमान सिर पर उठा लें। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है और उसे इसका अधिकार है कि किसी देश से किन वस्तुओं को खरीदे और किन्हें नहीं।



editor@rookthoklekhani.com



+91 9987775650



Faisal Shaikh @faisalrookthok



Watch Us On

YouTube

LIKE



SHARE



COMMENT



SUBSCRIBE



youtube@rookthoklekhani

वसई-विरार में बोगस डॉक्टर पर कार्रवाई

एलोपैथी इलाज करते पकड़ा गया...



विरार : वसई-विरार महानगरपालिका ने बोगस डॉक्टरों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए एक और बड़ी कार्रवाई की है। नालासोपारा (पूर्व) के संतोष भवन परिसर में एक अवैध क्लिनिक पर छापा मारा गया, जहां एक डॉक्टर शहर एलोपैथी चिकित्सा करते हुए रोगी हाथों पकड़ा गया। आरोपी, जिसकी पहचान मोहम्मद नसीम खान के रूप में हुई है, उसके पास केवल बी.ई.एम.एस. की डिग्री है, फिर भी वह एलोपैथी इलाज कर रहा था। यह कार्रवाई मनपा आयुक्त मनोज

कुमार सूर्यवंशी और मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भक्ति चौधरी के निर्देश पर की गई। बिलाल पाड़ा नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र की वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शाहीन जमीर शेख के नेतृत्व में एक टीम ने 'तसनीम हेल्थ केअर' नामक क्लिनिक पर छापा मारा।

टीम ने देखा कि मोहम्मद नसीम खान एक 8 महीने के बच्चे का एलोपैथी इलाज कर रहा था और पर्चा लिख रहा था। जांच में पता चला कि आरोपी के पास एलोपैथी प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार

नहीं है। क्लिनिक से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं, इंजेक्शन और अन्य चिकित्सा उपकरण जब्त किए गए। डॉ. शाहीन शेख की शिकायत के आधार पर, तुलुंग पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भक्ति चौधरी ने बताया कि महानगरपालिका क्षेत्र में अब तक 31 बोगस डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। मनपा ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और अधिकृत डॉक्टरों से ही इलाज कराएं और किसी भी संदिग्ध चिकित्सा गतिविधि की सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग या पुलिस को दें। यह कार्रवाई शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों को ऐसे अवैध डॉक्टरों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुंबई : बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री ने किया हंगामा...

टिकट परीक्षक के कार्यालय में तोड़फोड़!



मुंबई : लोकल ट्रेन से उतरे चार यात्रियों में से एक बिना टिकट पकड़ा गया, जिसके बाद यात्री ने हंगामा कर दिया और टिकट परीक्षक के कार्यालय में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं यात्री ने रेलवे कर्मचारियों पर भी हमला कर दिया। यह घटना शनिवार दोपहर मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर हुई, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल, ये चार यात्री दादर से विरार जा रही लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे।

तीन लोगों के पास सेकंड क्लास का टिकट था, लेकिन वे फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे थे। एक यात्री के पास कोई टिकट नहीं था। इसलिए उन्हें ट्रेन से उतरने के लिए कहा गया। जब उन्हें टिकट परीक्षक (टीटीई) के ऑफिस में ले जाया गया, तब एक यात्री गुस्से में चिल्लाने लगा और कंप्यूटर का कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह तोड़ने लगा।

वीडियो में दिख रहा है कि रेलवे कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उस यात्री ने एक टिकट

परीक्षक पर हमला भी किया और वहां वीडियो बना रहे लोगों को धमकाया। एक महिला सह-यात्री बहुत डर गई और रोने लगी। इस झगड़े में रेलवे कर्मचारी और कुछ यात्री घायल हो गए। उन्हें इलाज दिया गया और बाद में उस गुस्सेल यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

वीवीसीएमसी के उप-संचालक के खिलाफ मामला दर्ज... करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद

नालासोपारा : वसई-विरार शहर महानगरपालिका (वीवीसीएमसी) के उप-संचालक वाय.एस. रेड्डी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर अपनी ज्ञात आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप है। पुलिस निरीक्षक सचिन मोरे की शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई में रेड्डी के नालासोपारा (पूर्व) और हैदराबाद स्थित दो ठिकानों पर



तलाशी ली गई। इस तलाशी में पुलिस ने 31.48 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति बरामद की है। इसमें 26.33 किलो सोने और हीरे के आभूषण (अनुमानित मूल्य 23.25 करोड़) और लगभग 8.23 करोड़ की नकदी

बिजली के झटके से मजदूर की मौत

भिवंडी : कल्याण-भिवंडी रोड के गोवेगांव इलाके में निर्माणधीन इमारत में काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 34 वर्षीय नारायण युगेश्वर कामत के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मधेपुर, बिहार का निवासी था और कल्याण पश्चिम इलाके के बारावे गांव में रहता था। घटना 30 जुलाई की सुबह करीब साढ़े 9 बजे भिवंडी के गोवेगांव में घटित हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब नारायण कामत इमारत की कटावनी बिल्डिंग के पास काम कर रहा था। इस दौरान बगल से गुजर रही टरएड की इलेक्ट्रिक वायरिंग के संपर्क में आने से उसे जोरदार करंट लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई अनिल चौधरी उर्फ कामत ने ठेकेदार मनोज दिलीप पाटील और मुरली यादव के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निर्माण स्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपाय और सुविधाएं नहीं दी गई थीं।

नवी मुंबई : बंदूक की नोक पर छेड़छाड़... तलोजा में सनसनीखेज मामला

ठाणे : नवी मुंबई के तलोजा इलाके में एक महिला से बंदूक की नोक पर छेड़छाड़ और जबरदस्ती यौन संबंध बनाने के प्रयास की चौकाने वाली घटना सामने आई है। आरोपी कुंदन नेटके के खिलाफ तलोजा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। घटना 28 जून को घटी, जबकि पीड़िता ने साहस दिखाते हुए एक जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने पहले दोस्ती का दिखावा किया और फिर एक दिन कार में बैठाकर उसे सुनसान जगह ले गया। बातचीत के दौरान उसने अचानक जेब से पिस्तौल निकालकर धमकी दी और शारीरिक संबंध के लिए मजबूर करने



लगा। पीड़िता ने जैसे-तैसे हिम्मत जुटाकर मौके से भागने में कामयाबी पाई और सीधे तलोजा पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने आरोपी कुंदन नेटके के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की नई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें बीएनएस की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 351(2) (आपराधिक धमकी) शामिल हैं। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।



“कैश लोन” ऐप से आर्थिक धोखाधड़ी; बदनाम करने की धमकियां...

मुंबई : जोगेश्वरी इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय युवती के साथ एक चौकाने वाला ऑनलाइन ठगी और मानसिक प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला ने इंस्टाग्राम पर “कैश लोन” नामक मोबाइल ऐप की विज्ञापन देखकर लोन के लिए आवेदन किया, लेकिन इसके बाद उनके साथ न केवल आर्थिक धोखाधड़ी हुई, बल्कि उन्हें बदनाम करने की धमकियां भी मिलने लगीं।

₹2000 का लिया था लोन
मामला जोगेश्वरी पश्चिम के क्रांति नगर इलाके का है। पीड़िता यहां परिवार के साथ रहती है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर “कैश लोन” नामक ऐप का विज्ञापन देखा। तत्काल पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने 20 जुलाई 2025 को दोपहर करीब



2:30 बजे ये ऐप डाउनलोड किया। पीड़िता ने ऐप पर अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड व बैंक डिटेल्स साझा कीं। उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट नंबर देकर ₹2000 का लोन मांगा, जिसमें से उन्हें केवल ₹1300 की रकम ट्रांसफर की गई। ये लोन 6 दिन के लिए था।

धमकी भरे आने लगे मैसेज
लोन की अवधि पूरी होने से पहले ही, एक मोबाइल नंबर से पीड़िता को

धमकी भरे मैसेज आने लगे। आरोपी ने कहा कि अगर उन्होंने तुरंत पैसे नहीं लौटाए, तो उनके अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पीड़िता ने इस डर से 31 जुलाई को शाम 6 बजे तक दो बार में ₹1000-₹1000 यानी कुल ₹2000 की रकम यूपीआई के जरिए भेज दी। ये रकम फोनपे पर “संदेश कुमार” नामक व्यक्ति के खाते में गई। शाम करीब 7 बजे पीड़िता की मौसी ने फोन कर बताया कि उन्हें

व्हाट्सएप पर पीड़ित का चेहरा मॉर्फ करके बनाया गया एक न्यूड फोटो भेजा गया है। कुछ ही देर में पीड़िता के दो और दोस्तों को भी उसी नंबर से यही फोटो भेजा गया। इस मानसिक आघात के बाद पीड़िता ने अपने पिता को पूरे मामले की जानकारी दी और वे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने साफ कहा है कि आरोपी ने उनकी प्रतिष्ठा खराब करने की धमकी दी और जानबूझकर मॉर्फिंग के जरिए अश्लील सामग्री बनाई। पुलिस ने धारा 419 (धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 354ऊ (साइबर स्टॉकिंग), 509 (शब्दों/इशारों से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

उद्धव के लिए हमारे पास अब कोई जगह नहीं!

सुलह की संभावना से फडणवीस ने किया इनकार

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के साथ निकट भविष्य में किसी भी सियासी समझौते की संभावना को सिर से खारिज कर दिया है। रविवार को हुए एक साक्षात्कार में उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार पूरे पांच साल तक मजबूती से चलेगी। इसी के साथ उन्होंने महायुति में नाराजगी या मतभेद की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि हमने उद्धव को कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने विधान परिषद में दिए गए अपने भाषण को मजाक बताते हुए कहा कि 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को 232 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, अगर कोई और आता है, तो हम उन्हें उसे कौन सी सीट देंगे?



ऐसा सवाल करते हुए उन्होंने उद्धव के साथ किसी समझौते की संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया। साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमने महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक तूफानों को शांत कर दिया है। मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन फिलहाल पांच साल तो चलेगा ही और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 2019 के विधानसभा नतीजों के बाद बदले राजनीतिक घटनाक्रमों में अजीत पवार के साथ 80 घंटे की सरकार के बारे में बोलते हुए,

मेडिकल स्टोर्स में अब CCTV अनिवार्य

पुलिस ने एक महीने में कैमरे लगाने का दिया आदेश



मुंबई : मुंबई में नशे की लत और प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब शहर के सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की

धारा 152 के तहत जारी किया है। आदेश के मुताबिक, मेडिकल स्टोर्स को एक महीने के भीतर अपने यहां कैमरे लगाने होंगे।

पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई मेडिकल दुकानों से बिना डॉक्टर की पर्ची के नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं बेची जा रही हैं। इन

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब कैमरे की निगरानी में बिक्री की व्यवस्था की जा रही है। खासतौर पर शेड्यूल ल, ल1 और में दर्ज दवाएं बिना नियमन के आसानी से उपलब्ध कराई जा रही थीं। इस आदेश के बाद अब इन दवाओं की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कैमरे दुकान के प्रवेश द्वार, दवा काउंटर और दवा स्टोर करने वाली जगहों को कवर करेंगे। कैमरों की गुणवत्ता कम से कम दो मेगापिक्सेल होनी चाहिए और रिकॉर्डिंग को तीस दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। हालांकि मेडिकल स्टोर संचालकों ने इस आदेश को लेकर नाराजगी जताई है।

प्रदूषित स्थानों की पहचान करने के लिए

मनपा ने निजी संस्था से मिलाया हाथ...

इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेशन के साथ किया समझौता

मुंबई : प्रदूषण मुंबई मनपा के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। मनपा प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए निजी संस्था का सहारा लेने का निर्णय लिया है। जिसके द्वारा प्रदूषण वाले स्थानों की पहचान हो पाएगी। मनपा का मानना है कि इससे प्रदूषण बढ़ने वाले स्थानों पर कार्रवाई करना आसान होगा। मनपा ने निजी संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेशन के साथ किया समझौता किया है। मानसून के बाद मुंबई में प्रदूषण बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते मनपा अभी से तैयारी शुरू



कर दी है। मनपा अब प्रदूषण वास्तव में कहां से फैल रहा है और इसके हॉटस्पॉट्स कौन-कौन से हैं, इसका सटीक पता लगाने के लिए अब निजी संस्था का सहारा लेने का निर्णय लिया है। मनपा ने ‘इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेशन’ संस्था के साथ अनुबंध किया है। मनपा के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जल्द ही इसके लिए

औपचारिक कार्यादेश जारी किया जाएगा। मुंबई में वर्ष 2022 से हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। मनपा के अनुसार प्रदूषण को लेकर अब केवल प्राथमिक जानकारी के आधार पर उपाय करने की बजाय अब वैज्ञानिक पद्धति से प्रदूषण के स्रोतों का विश्लेषण किया जाएगा। लोहे और स्टील की फैक्ट्रियां, छोटे-बड़े उद्योग, सीवेज और कचरे से भी प्रदूषण होता है। इन स्रोतों की पहचान, प्रदूषण की मात्रा और हॉटस्पॉट की जानकारी ‘इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेशन’ के माध्यम से एकत्र की जाएगी।

ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया

5,000 रुपये के जुर्माना एक दिन की सजा

ठाणे : एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में 2016 में राबोडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 52 वर्षीय ठाणे निवासी व्यवसायी रमेश शिटकर को ठाणे सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। हालांकि, उन्हें केवल एक दिन की हिरासत की सजा सुनाई गई है। शिटकर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 332 (किसी लोक सेवक को जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 353 (किसी



लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या अपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दोषी पाया गया। उन्हें दोनों आरोपों के तहत एक दिन के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि, अदालत ने शिटकर को

आईपीसी की धारा 504 के तहत आरोप से बरी कर दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। अपने फैसले में, अदालत ने कहा: “आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध के संबंध में, अधिकारी ने एफआईआर में कहा है

कि आरोपी ने गंदी भाषा का इस्तेमाल करके उनका अपमान किया, लेकिन यह तथ्य कि इस अपमान ने अधिकारी को सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाया, साबित नहीं होता, क्योंकि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने इस आशय की गवाही नहीं दी। इस प्रकार, यह स्थापित नहीं होता कि आरोपी ने जानबूझकर सूचना देने वाले का अपमान किया और उसे शांति भंग करने के लिए उकसाया। इसलिए, मेरा मानना है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 के तहत आरोप साबित नहीं होते।

पुणे कार दुर्घटना के आरोपी को

3 दिनों की जमानत...

पुणे : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में एक आरोपी को पिता के निधन पर तीन दिनों की अस्थायी जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अश्विन भोबे ने शुक्रवार को आदित्य अविनाश सूद को 2 से 5 अगस्त तक जमानत दे दी। मामला 19 मई 2024 का है। पुणे के कल्याणी नगर में कार सवारों ने बाइक सवार दो आईटी पेशेवरों को कुचला था। आदित्य सूद उन 10 लोगों में



शामिल था, जिन्हें नाबालिग चालक के अल्कोहल टेस्ट को रद्द करने के लिए खून के नमूनों की अदला-बदली के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार आदित्य के खून के नमूने उनके पिता के खून के नमूनों से बदले गए थे।



मनपा ने दादर कबूतरखाना को किया बंद... शुक्रवार को स्थानियों के विरोध के चलते नहीं कर पाए थे

मुंबई : दादर स्थित कबूतरखाना को आखिरकार शनिवार की शाम को बंद कर दिया गया। मनपा जी नॉर्थ वार्ड ने शनिवार की रात कबूतर खाना के चारों ओर बांस के खंभे लगाकर उसके ऊपर ताड़पत्री लगाकर बंद करने का काम किया गया। मनपा द्वारा कबूतर खाने को बंद करने की करवाई शनिवार की देर रात तक चल रही थी। इसके पहले

कबूतरखाना को ढकने की मनपा जी/नॉर्थ वार्ड के अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को कार्रवाई की गई थी। उस समय कार्रवाई इस लिए रोक दी गई थी कि स्थानीय निवासियों ने वहां मौजूद बीमार कबूतरों को हटाने के लिए कुछ समय मांगा था। मनपा के एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही थी, ताकि सार्वजनिक



स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने पर लगे प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। अधिकारी ने कहा, “हम कोर्ट के आदेश के अनुसार कबूतरखाना को ढकने के लिए पहुंचे थे, ताकि दाना डालने की गतिविधि

पर रोक लगाई जा सके।” हालांकि, स्थानीय नागरिकों ने मनपा से कुछ समय की मोहलत मांगी, यह कहते हुए कि वहां कई बीमार कबूतर हैं जो उड़ने में असमर्थ हैं और उन्हें पहले स्थानांतरित करना आवश्यक है।

जैन धर्म की आज कबूतरों के लिए कलश यात्रा

दादर में नगर निगम जहां कबूतरों के बाड़े को ध्वस्त कर रहा

है और कबूतरों पर अनाज फेंकने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है, वहीं मुंबई के पशु प्रेमी मूक कबूतरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे पिछले दो रविवारों से शांति मार्च, रैली और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन पुलिस पशु प्रेमियों को यह कहकर रोक रही है कि रैली की अनुमति नहीं है।

भिवंडी : पानी सप्लाई कारोबारी से हफ्ता वसूली की कोशिश...

मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी



भिवंडी : शहर के कारवली रोड इलाके में पानी सप्लाई का कारोबार करने वाले एक युवक से जबरन हफ्ता वसूली की कोशिश की गई। पैसे न देने पर आरोपी ने पहले गाली-गलौच की, फिर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पुलिस के अनुसार, फिरोज जुबेर अंसारी, जो कारवली रोड क्षेत्र में पानी सप्लाई का कार्य करते हैं, 28 जुलाई की रात लगभग 8:30 बजे जब अपने काम से लौट रहे थे, तभी पप्पू किराना स्टोर के पास पहुंचा ही था तभी हासून फारूक मोमिन ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान सहुदीन जमालुद्दीन अंसारी नामक युवक भी वहां पहुंचा और बिना किसी

उकसावे के कहा, “ये इलाका मेरा है, बिना पैसे दिए काम नहीं कर सकता,” कहते हुए गाली-गलौच कर हाथ से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद, 29 जुलाई की दोपहर करीब 3 बजे, जब फिरोज साबिरा अपार्टमेंट के पास पानी सप्लाई का कार्य कर रहे थे, तो हासून अंसारी ने वहां पहुंचकर फिर से उन्हें रोका और धमकी दी, “हर महीने 5 हजार रुपये देने होंगे, नहीं तो तुझे यहां काम नहीं करने देंगे, हाथ-पैर तोड़ देंगे।” इस दौरान फिर से धक्का-मुक्की और गाली-गलौच की गई। पीड़ित फिरोज ने इस संबंध में भोईवाडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

इगतपुरी के पास कामायनी एक्सप्रेस के इंजन में ब्रेक जाम होने के कारण धुआं निकलने लगा...



मुंबई : नासिक - मुंबई रूट पर, इगतपुरी के पास पडली और मुंडगांव के बीच, कामायनी एक्सप्रेस के इंजन में ब्रेक जाम होने के कारण धुआं निकलने लगा। इसके कारण ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया, जिससे एक संभावित दुर्घटना टल गई। इस घटना के कारण कामायनी एक्सप्रेस लगभग आधे घंटे तक रुकी रही, जिससे ट्रेन देरी से चली। आज सुबह, जब कामायनी एक्सप्रेस इगतपुरी के पास पडली और मुंडगांव स्टेशनों के बीच चल रही थी, तभी ब्रेक जाम होने के कारण इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा।

मुंबई : जून से अब तक बीएमसी के पोर्टल पर गड़ों की 7,675 शिकायतें दर्ज

मुंबई : गड़ों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जून से अब तक बीएमसी के पोर्टल पर 7,675 शिकायतें दर्ज की गई हैं। चिंताजनक बात यह है कि पिछले 48 घंटों में ही 354 शिकायतें दर्ज की गई हैं। बीएमसी का दावा है कि शनिवार शाम तक 6,498 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। हालांकि, गड़ों से जुड़ी 1,178 शिकायतों पर काम अभी भी लंबित है। पिछले साल इसी अवधि की तुलना में, 6,500 शिकायतें दर्ज की गई थीं। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, पवई और भांडुप को कवर करने वाला एस वार्ड सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहाँ दो महीनों में 1,499 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 अगस्त तक केवल 847 शिकायतों का ही निपटारा किया जा सका है, जबकि 652 गड़ों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है।



मुंबई : पुलिस ने 14.4 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला की एक खेप जब्त; दो लोगों को गिरफ्तार किया

मुंबई : अवैध गुटखा व्यापार पर एक बड़ी कार्रवाई में, रबाले पुलिस ने एक टेंपो में ले जाए जा रहे 14.4 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला की एक खेप जब्त की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। परिवहन में इस्तेमाल किए गए टेंपो सहित जब्त की कुल कीमत 20.4 लाख रुपये आंकी गई है। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, रबाले पुलिस टीम ने गोठीवली गाँव के प्रवेश द्वार के पास जाल बिछाया। शाम करीब 6 बजे, उन्होंने एक टेंपो को रोका जिस पर प्रतिबंधित सामान ले जाने का संदेह था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “जांच करने पर, हमें वाहन के अंदर प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों से भरे 25 बोरे मिले।”

मुंबई : समुद्र में डूबे युवक को स्थानीय मछुआरों ने रात में निकाला

मुंबई : जूहू स्थित सिल्वर बीच गोदरेज गेट पर शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 बजे दो युवक के समुद्र में डूबने की घटना घटी। यह घटना समुद्र तट से लगभग 200 मीटर के अंदर हुई थी। घटना की जानकारी मुंबई फायर ब्रिगेड को मिलने तक स्थानीय सुरक्षा रक्षक के जी मदद से एक युवक को बचाया जा सका था, लेकिन समुद्र में फिर हाइटाइड आ गया, जिससे बचाव कार्य बंद कर दिया गया था। जिससे समुद्र में डूबे एक युवक को ढूँढने का काम बंद करना पड़ा था। फायर ब्रिगेड ने शुक्रवार की रात लगभग 10,30 बजे समुद्र में डूबे युवक को खोजने के लिए स्थानीय मछुआरों की सहायता लेकर दोबारा खोजबीन शुरू की। फायर ब्रिगेड और स्थानीय मछुआरों ने समुद्र में डूबे विघ्नेश मुर्गेश देवेन्द्रम उम्र 20 वर्ष को ढूँढने में कामयाबी हाथ लगी। समुद्र में डूबे युवक को फायर ब्रिगेड और मछुआरों ने युवक को कूपर अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टर ने इलाज के पूर्व ही युवक को मृत घोषित कर दिया।



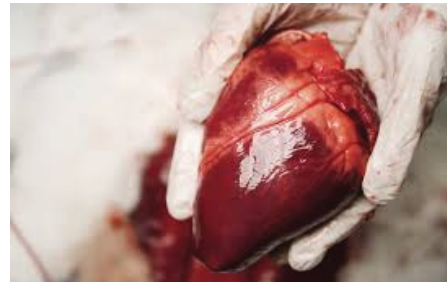
प्रभादेवी की ऊँची इमारत के बेसमेंट में अवैध गोदाम;

कार्रवाई न करने पर नगर निगम अधिकारियों को कानूनी नोटिस...



मुंबई : दादर स्थित एक नागरिक समूह ने प्रभादेवी की ऊँची इमारत के बेसमेंट में स्थित एक अवैध गोदाम के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नगर निगम अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा है। यह गोदाम कथित तौर पर त्वरित डिलीवरी करने वाली दिग्गज कंपनी ब्लिंकिट द्वारा संचालित है। हालांकि नगर आयुक्त ने हाल ही में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिए न किया जाए, लेकिन जी/दक्षिण वार्ड के अधिकारी लगभग तीन महीने बाद भी अवैध गोदाम के खिलाफ कार्रवाई करने में लगातार विफल रहे हैं।

मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल में सफल हृदय प्रत्यारोपण के बाद तेरह वर्षीय को नई जिंदगी मिली



मुंबई : महाराष्ट्र के जालना की तेरह वर्षीय खानसा रहीम सैयद को मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल में सफल हृदय प्रत्यारोपण के बाद नई जिंदगी मिली। यह जीवन रक्षक सर्जरी तब संभव हुई जब एक 25 वर्षीय ब्रेन-डेड मरीज के परिवार ने उदारतापूर्वक उसके अंगदान की सहमति दी—जो महाराष्ट्र

में इस साल का 85वाँ अंगदान था। मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल की बाल चिकित्सा हृदय रोग टीम ने यह प्रत्यारोपण किया।

खानसा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी से जूझ रही थीं, जो एक गंभीर स्थिति है जिसमें हृदय बड़ा और कमजोर हो जाता है, जिससे उसकी रक्त पंप करने की क्षमता कम हो जाती है। जनवरी 2025 में इसका निदान होने के बाद, खानसा को महीनों तक थकान, सांस फूलना, भूख न लगना और बार-बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अपने लक्षणों के कारण अंततः उन्हें स्कूल जाना बंद करना पड़ा और उनकी दैनिक गतिविधियाँ करने की क्षमता सीमित हो गई।

संपर्क कार्यालय : रोहिता हाउस फ्लैट नो 8 दूसरा माला पाकीजा बेकरी के सामने कैडल रोड माहिम पश्चिम मुंबई 400096

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई : 4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rookthoklekhaninews.com